

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 01/2024- एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 10 जुलाई, 2024

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा 1 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 02/2018- एकीकृत कर, तारीख 20 सितंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 901(अ), तारीख 20 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, “एक प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “आधे प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)

निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्यांक 02/2018- एकीकृत कर, तारीख 20 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 901(अ), तारीख 20 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।